पत्र संख्या–वि0व0 संग्रह/एन0सी0एल0टी0/ (2020–2021)/ 53 /वाणिज्यकर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(संग्रह/एनसीएलटी(सैल)) मुख्यालय

लखनऊ दिनांक 06 जून ,2020

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग–बी,

(नोडल NCLT/NCLAT) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या–न्याय–व0प्रशा0प0/2019–20/817, दिनांक 30.09.2019 के द्वारा संग्रह अनुभाग, मुख्यालय को नोडल अनुभाग नामित करते हुए एनसीएलटी के सभी मामलों का विवरण तैयार करके समीक्षा करने तथा उसके परिणाम पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया गया है।

National Company Law Tribunal (NCLT) विभिन्न प्रकार के कम्पनियों से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण हेतु गठित न्यायिक प्राधिकरण है। एनसीएलटी के पूरे भारत वर्ष में कुल 27 पीठ हैं। 27 पीठों में मुकदमों की सुनवाई की जाती है। विभाग में पंजीकृत किसी कम्पनी के विरूद्ध बकाये की वसूली/ प्राप्ति हेतु विभागीय दावा निर्धारित समय में किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम –2017 की धारा–88 व 89 में भी उक्त से सम्बन्धित प्रावधान उल्लिखित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए NCLT/NCLAT के सभी मामलों का पूर्ण विवरण अपने जोन से एकत्रित करने, NCLT/NCLAT में विभागीय दावा दाखिल करने एवं उक्त की समीक्षा तथा परिणाम पर प्रभावी अनुश्रवण के दायित्व का निर्वहन करने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या–1010, दिनांक 15.11.2019 के द्वारा प्रत्येक जोन के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग–बी को **नोडल अधिकारी** नियुक्त किया गया है। साथ ही, वाराणसी, लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद के दोनों जोन के लिए भी ज्वांइट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग–बी, को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यालय द्वारा वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान–4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में पत्र संख्या–वि0व0(संग्रह)/2018–2019/508, दिनांक 08 अगस्त,2018 से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पत्र संख्या–स्था–1–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण/2019–20/2203/वाणिज्य कर, दिनांक 09 अगस्त, 2019 के द्वारा दिनांक 19.08.2019 से दिनांक 23.08.2019 तक तथा दिनांक 26.08.2019 से दिनांक 30.08.2019 तक (05 दिवसीय) **"बकाया वसूली के नियम/अधिनियम व विभिन्न प्रकियाओं तथा Insolvencey and bankruptcy Code 2016 [NCLAT] के अन्तर्गत लिक्विडेशन की प्रकिया एवं NCLT से सम्बन्धित"** विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराया जा चुका है एवं सम्बन्धित अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी है। विभिन्न वेवसाइट पर भी NCLT/NCLAT से सम्बन्धित जानकारियॉ उपलब्ध हैं।

आप द्वारा मुख्यालय को प्रेषित सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि माननीय NCLT/NCLAT के समक्ष प्रस्तुत दावों की स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही मामलों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामलों का निरन्तरता से अनुश्रवण ही किया जा रहा है, जबकि इसमें अत्यधिक राजस्व निहित है। **अतएव समस्त नोडल अधिकारी मामलों की गम्भीरता को दृष्टव्य रखते हुए अपने–अपने जोन से सम्बन्धित समस्त वादों का अनुश्रवण व परीक्षणोंपरान्त समस्त मामलों में दावा प्रस्तुत करने की स्पष्ट स्थिति से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें** एवं अनुशीलन में यह सुनिश्चित हो ले कि नये प्रकरण में भी दावा प्रस्तुत कर लिया जाये, साथ ही अपने जोन से सम्बन्धित बड़े बकायेदारों व 360° रिस्क इण्डस्ट्रीज के अन्तर्गत आ रही बकायेदार फर्मों का भी अनुशीलन तत्काल सुनिश्चित करें।

माननीय NCLT/NCLAT के सभी मामलों में विभागीय दावा प्रस्तुत करने की समयबद्धता हैं, अतएव लम्बित चल रहे समस्त प्रकरणों में माननीय NCLT/NCLAT के समक्ष निर्धारित प्रारूप में बकाया के सम्बन्ध में विभागीय दावा निर्धारित समयान्तर्गत आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना/कराना सुनिश्चित करें। यदि समय से माननीय NCLT/NCLAT के समक्ष दावा नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण कोई राजस्व की क्षति होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। अतः किसी प्रकार की शिथिलता/विलम्ब न बरतते हुए समयान्तर्गत समस्त कार्यवाहियॉ सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

04/06/2020

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ

पृ0प0संख्या व दिनांक यथोक्तः—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/6/20

ज्वाइंट कमिश्नर(संग्रह)वाणिज्य कर,

मुख्यालय,लखनऊ